

		1. Director, National Film Archive of India 2. Administrative Officer, National Film Archive of India 3. Administrative Officer, All India Radio	-Chairman -Member -Member
--	--	--	---------------------------------

[F.No.M-15011/2/2014-DO(FC)]

S. NAGANATHAN, Under Secy.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 241.—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियमावली, 1951 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय तार नियमावली, 1951, में-

(i) नियम 525 के, उप-नियम (2) के खंड (v) में, मद (घ) के बाद निम्नलिखित मर्दों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ.) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपग्रह वैंडविडथ सिस्टम के संवर्धन हेतु भारत संचार नियम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जाएगा।

(च) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना के अनुसार लक्षद्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपग्रह वैंडविडथ सिस्टम के संवर्धन हेतु भारत संचार नियम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जाएगा।

(छ) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में स्थलीय ऑफिचिल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क संचार मीडिया का संवर्धन करने और रिंग कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत संचार नियम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जाएगा।

(ii) उक्त नियमों के नियम 526 में "खंड (v)" की मद (ग) और मद (घ)" के शब्दों, कोष्ठकों और वर्णों को "खंड (v)" की मद (ग), मद (घ), मद (ड), मद (च) और मद (छ)" के शब्दों, कोष्ठकों और वर्णों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 30-174-8/2015-बीबी-यूएसएफ]

शशि रंजन कुमार, मंयुक्त मन्त्री (प्रशासन)

टिप्पणी : मूलनियम डाक एवं तार नियमावली खंड-1, विधायी अधिनियम, भाग-II, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् ये निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किए गए-

1. सा.का.नि. 190, दिनांक 18 फरवरी, 1984;
2. सा.का.नि. 386, दिनांक 22 मई, 1984;
3. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 22 मई, 1984;
4. सा.का.नि. 679, दिनांक 30 जून, 1984;
5. सा.का.नि. 428, दिनांक 27 अप्रैल, 1985;

6. सा.का.नि. 729, दिनांक 03 अगस्त, 1985;
7. सा.का.नि. 982, दिनांक 19अक्टूबर, 1986;
8. सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 27 मार्च, 1986;
9. सा.का.नि. 314, दिनांक 26 अप्रैल, 1986;
10. सा.का.नि. 566, दिनांक 26 जुलाई, 1986;
11. सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1986;
12. सा.का.नि. 1121(अ), दिनांक 01 अक्टूबर, 1986;
13. सा.का.नि. 1167(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 1986;
14. सा.का.नि. 1237(अ), दिनांक 28 नवम्बर, 1986;
15. सा.का.नि. 49, दिनांक 17 जनवरी, 1987;
16. सा.का.नि. 112(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1987;
17. सा.का.नि. 377(अ), दिनांक 09 अप्रैल, 1987;
18. सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27 जुलाई, 1987;
19. सा.का.नि. 719(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1987;
20. सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 05 अक्टूबर, 1987;
21. सा.का.नि. 989(अ), दिनांक 17 दिसंबर, 1987;
22. सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 11 मार्च, 1988;
23. सा.का.नि. 361(अ), दिनांक 21 मार्च, 1988;
24. सा.का.नि. 626(अ), दिनांक 17 मई, 1988;
25. सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 31 मई, 1988;
26. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 10 जून, 1988;
27. सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 24 जून, 1988;
28. सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 14 जुलाई, 1988;
29. सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1988;
30. सा.का.नि. 888(अ), दिनांक 01 सितंबर, 1988;
31. सा.का.नि. 907(अ), दिनांक 07 सितंबर, 1988;
32. सा.का.नि. 916(अ अ), दिनांक 09 सितंबर, 1988;
33. सा.का.नि. 1054, दिनांक 02 नवम्बर, 1988;
34. सा.का.नि. 179, दिनांक 18 मार्च, 1989;
35. सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 15 मार्च, 1989;
36. सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 15 जून, 1989;
37. सा.का.नि. 865, दिनांक 29 सितंबर, 1989;
38. सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 29 मार्च, 1990;
39. सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 15 जून, 1990;
40. सा.का.नि. 933(अ), दिनांक 03 दिसंबर, 1990;
41. सा.का.नि. 985(अ), दिनांक 20 दिसंबर, 1990;
42. सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1991;
43. सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 25 अप्रैल, 1991;
44. सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 02मई, 1991;

45. सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 21 मई, 1992;
46. सा.का.नि. 560(अ), दिनांक 26 मई, 1992;
47. सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 10 जून, 1992;
48. सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 19 अगस्त, 1992;
49. सा.का.नि. 830(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 1992;
50. सा.का.नि. 62(अ), दिनांक 11 फरवरी, 1993;
51. सा.का.नि. 80, दिनांक 06 फरवरी, 1993;
52. सा.का.नि. 384(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 1993;
53. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 1993;
54. सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 26 मार्च, 2004;
55. सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2006;
56. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 01 मार्च, 2007;
57. सा.का.नि. 547(अ), दिनांक 18 जुलाई, 2008;
58. सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2010;
59. सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010;
60. सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 27 मार्च, 2012;
61. सा.का.नि. 412(अ), दिनांक 29 मई, 2012;
62. सा.का.नि. 368(अ), दिनांक 07 जून, 2013;
63. सा.का.नि. 506(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2013;
64. सा.का.नि. 18, दिनांक 28 जनवरी, 2014;
65. सा.का.नि. 912(अ), दिनांक 23 दिसंबर, 2014; और
66. सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2015.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 10th December, 2015

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (2nd Amendment) Rules, 2015.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, -
 (i) in rule 525, in sub-rule (2), in clause (v), after item (d), the following items shall be inserted, namely:-
 "(e) For augmentation of satellite bandwidth systems for the Union territory of Andaman and Nicobar Islands as per the Comprehensive Telecom Development Plan for Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. Capital Expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).
 (f) For augmentation of satellite bandwidth systems for the Union territory of Lakshadweep Islands as per the Comprehensive Telecom Development Plan for Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. Capital Expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).
 (g) For augmentation of terrestrial Optical Fibre Cable (OFC) network/transmission media and providing Ring connectivity in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands as per the Comprehensive Telecom Development

Plan for Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, Capital Expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).";

(ii) In rule 526, for the words, brackets and letters "item (c) and item (d) of clause (v)", the words, brackets and letters "item (c), item (d), item (e), item (f) and item (g) of clause (v)" shall be substituted.

[F.No.30-174-8/2015-BB-USF]

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended vide notification numbers -

1. G.S.R. 190, dated the 18th February, 1984;
2. G.S.R. 386, dated the 22nd May, 1984;
3. G.S.R. 387(E), dated the 22nd May, 1984;
4. G.S.R. 679, dated the 30th June, 1984;
5. G.S.R. 428, dated the 27th April, 1985;
6. G.S.R 729, dated the 3rd August, 1985;
7. G.S.R. 982, dated the 19th October, 1986;
8. G.S.R. 553(E), dated the 27th March, 1986;
9. G.S.R. 314, dated the 26th April, 1986;
10. G.S.R. 566, dated the 26th July, 1986;
11. G.S.R. 953(E), dated the 23rd July, 1986;
12. G.S.R. 1121(E), dated the 1st October, 1986;
13. G.S.R. 1167(E), dated the 28th October, 1986;
14. G.S.R. 1237(E), dated the 28th November, 1986;
15. G.S.R. 49, dated the 17th January, 1987;
16. G.S.R. 112(E), dated the 25th February, 1987;
17. G.S.R. 377(E), dated the 9th April, 1987;
18. G.S.R. 674(E), dated the 27th July, 1987;
19. G.S.R. 719(E), dated the 18th August, 1987;
20. G.S.R. 837(E), dated the 5th October, 1987;
21. G.S.R. 989(E), dated the 17th December, 1987;
22. G.S.R. 337(E), dated the 11th March, 1988;
23. G.S.R. 361(E), dated the 21st March, 1988;
24. G.S.R. 626(E), dated the 17th May, 1988;
25. G.S.R. 660(E), dated the 31st May, 1988;
26. G.S.R. 693(E), dated the 10th June, 1988;
27. G.S.R. 734(E), dated the 24th June, 1988;
28. G.S.R. 606, dated the 14th July, 1988;
29. G.S.R. 812(E), dated the 26th July, 1988;
30. G.S.R. 888(E), dated the 1st September, 1988;
31. G.S.R. 907(E), dated the 7th September, 1988;
32. G.S.R. 916(E), dated the 9th September, 1988;
33. G.S.R. 1054, dated the 2nd November, 1988;
34. G.S.R. 179, dated the 18th March, 1989;
35. G.S.R. 358(E), dated the 15th March, 1989;
36. G.S.R. 622(E), dated the 15th June, 1989;
37. G.S.R. 865, dated the 29th September, 1989;
38. G.S.R. 413(E), dated the 29th March, 1990;

39. G.S.R. 574(E), dated the 15th June, 1990;
40. G.S.R. 933(E), dated the 3rd December, 1990;
41. G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 1990;
42. G.S.R. 74(E), dated the 18th January, 1991;
43. G.S.R. 237(E), dated the 25th April, 1991;
44. G.S.R. 251(E), dated the 2nd May, 1991;
45. G.S.R. 543(E), dated the 21st May, 1992;
46. G.S.R. 560(E), dated the 26th May, 1992;
47. G.S.R. 587(E), dated the 10th June, 1992;
48. G.S.R. 730(E), dated the 19th August, 1992;
49. G.S.R. 830(E), dated the 28th October, 1992;
50. G.S.R. 62(E), dated the 11th February, 1993;
51. G.S.R. 80, dated the 6th February, 1993;
52. G.S.R. 384(E), dated the 27th April, 1993;
53. G.S.R. 387(E), dated the 28th April, 1993;
54. G.S.R. 220(E), dated the 26th March, 2004;
55. G.S.R. 713(E), dated the 17th November, 2006;
56. G.S.R. 193(E), dated the 01st March, 2007;
57. G.S.R. 547(E), dated the 18th July, 2008;
58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010;
59. G.S.R. 279(E), dated the 31st March, 2010;
60. G.S.R. 256(E), dated the 27th March, 2012;
61. G.S.R. 412(E), dated the 29th May, 2012;
62. G.S.R. 368(E) dated the 07th June, 2013;
63. G.S.R. 506(E) dated the 24th July, 2013;
64. G.S.R. 18 dated the 28th January, 2014;
65. G.S.R. 912(E) dated the 23rd December, 2014; and →
66. G.S.R. 653(E) dated the 25th August, 2015. ↘

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 242.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली भर्ती नियम, 1990 को, उन वारों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें एम्स अधिकारण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (नमूह 'ब' पद) भर्ती नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।